न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी — आशीष गुप्ता, आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.266 / प्रा.पत्र / 2018 (GCMS No. 2018 / 00651)	15.10.2018	02.09.2020

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, बून्दी (जिला बून्दी)

— प्रार्थी

बनाम

प्रभूलाल आ. गोविन्दलाल जाति ब्राह्मण,
निवासी ग्राम बरूंधन,
तहसील एवं जिला बून्दी (राज0)

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970

उपस्थित—
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी प्रभूलाल आ. गोविन्दलाल जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम बरूंधन, तहसील बून्दी को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 8 रकबा 15 बिस्वा वाकेग्राम भुवरियां कुवां, आवंटन आदेश दिनांक 25.12.1978 को निरस्त किये जाने हेतु नियम 14(4) राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम,1970 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। मूल आवंटन पत्रावली प्रार्थना पत्र के संलग्न प्राप्त हुई।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर, दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को वास्ते जवाब जरिये नोटिस तलब किया।अप्रार्थी का नोटिस दो गवाहान की उपस्थिति में उसके मकान पर चस्पानगी से तामील होकर प्राप्त हुआ, किन्तु अप्रार्थी के नियत पेशी पर उपस्थित न्यायालय नहीं आने से दिनांक 13.07.20 को अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

बहस पेरोकार सरकार सुनी गयी ।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी को दिनांक 25.12.1978 को आवंटन की गई थी, आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है और आरक्षित मूल्य भी जमा नहीं करवाया गया है। जिस कारण आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किया जाना प्रमाणित है। ऐसे में आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड की जावें।

न्यायालय ने पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया एवं बहस पर गहनता से मनन किया। आवंटी प्रभूलाल वल्द गोविन्दलाल कौम ब्राहमण निवासी ग्राम बरूंधन को मिसल संख्या 34/1978 पर दिनांक 25.12.1978 को भूमि खसरा संख्या 8 रकबा 15 बिस्वा वाकेग्राम भवरिया कुआं का आवंटन किया जाना प्रकट है। आवंटन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि की किस्म नहरी दोयम है जो उपनिवेशन क्षेत्र में स्थित है। चम्बल उपनिवेशन विभाग की पर्चा खतौनी ग्राम भवरिया कुवा, तहसील एवं जिला बून्दी के अनुसार भी उक्त आराजी उपनिवेशन क्षेत्र में आती है। उक्त भूमि कमाण्ड क्षेत्र की होने से अनकमाण्ड क्षेत्र के कृषि भूमि आवंटन नियम,1970 के नियम 14(4) के तहत कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। ऐसे में चम्बल परियोजना क्षेत्र के नियमों के तहत आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही पेश नहीं किये जाने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार बून्दी को निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण की जांच कर, यदि आवश्यक हो तो नियमान्तर्गत कार्यवाही तैयार कर भिजवायी जावें।

आदेश आज दिनांक 02.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी